



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29042022-235426
CG-DL-E-29042022-235426

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1874]
No. 1874]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 28, 2022/वैशाख 8, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 28, 2022/VAISAKHA 8, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2022

का.आ. 1974(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2932(अ) दिनांक 26 July 2021 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में NH-NE5 (दिल्ली-लुधियाना-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे) के कि.मी. 514.5 से कि.मी. 566.42 (वजरात रोड, पीर खो, पक्की ढाकी, जम्मू, जम्मू और कश्मीर 180001) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख " दिनांक 30 जुलाई 2021 को "डेली एक्सेलसियर और अमर उजाला" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्टें प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

तेलंगाना राज्य के सूर्यपेट जिले में NH-365BB के कि.मी. 0 से कि.मी.38.2 (ऑफिस ऑफ़ रेवेनुए डिविशनल अफसर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर			जिले का नाम: जम्मू		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: जम्मू				
	गांव का नाम: मजीन				
1	148	सरकारी	गैर मुमकिन सड़क/ गैर मुमकिन पटरी	0.0101	मालिक: राज्य भूमि कल्टीवेटर: पीडब्ल्यूडी 3मरला और उत्तर रेलवे 17मारला(148मिनट) ()
2	149	निजी	मेराबल (कमर्शियल)/गैर मुमकिन सड़क	0.0329	मालिक: जगदीश सिंह पुत्र दीनानाथ निवासी जम्मू कल्टीवेटर: स्व खेती (11 मरला) मकबुज्जन नूर बेगम विडो राशिद अहमद निवासी देह (3 कनाल 2 मरला) पीडब्ल्यूडी विभाग (1कनाल 9 मरला) (149 मिन) ()
3	154	निजी	गैर मुमकिन रास्ता	0.0253	मालिक: शामलत देह कल्टीवेटर: मकबूजा मालकान(154मिन) ()
4	165	निजी	मेराबल (कमर्शियल)	0.1113	मालिक : मो. अली इस्माइल, शमुस दीन संस ऑफ़ नूर अली निवासी देह इक़ल शेयर कल्टीवेटर: शामुस दीन सह-शेयरर ()
5	172	सरकारी	गैर मुमकिन खड्ड	0.0076	मालिक: राज्य कल्टीवेटर:जम्मू विकास प्राधिकरण(172मिन) ()
6	282/201	निजी	बंजर कदीम	0.0885	मालिक: भानु दत्त पुत्र शाम सुंदर ब्राह्मण कल्टीवेटर: जम्मू विकास प्राधिकरण

					()
7	60	निजी	बंजर कदीम	0.3035	मालिक: सूरज प्रकाश पुत्र ईशर दास कल्टीवेटर: जम्मू विकास प्राधिकरण (60 मिन) ()
8	61	निजी	गैर मुमकिन खड्ड	0.1113	मालिक: शामलत देह हसबेह रसद खेवत बसनई मालकान मोहन सिंह और अन्य, मदरज़ा खेवत नं 2.,26, 27 कल्टीवेटर: जम्मू विकास प्राधिकरण(61मिन) ()
9	64	सरकारी	बंजर कदीम/अदाक	0.9029	मालिक:राज्य कल्टीवेटर:जम्मू विकास प्राधिकरण(64मिन) ()
10	83	निजी	मेराबल (कमर्शियल)	0.1163	मालिक: जगदीश सिंह और अन्य कल्टीवेटर: जगदीश सिंह सह-सहरे विक्रेता बनारसी लाल पुत्र राम राखा कशव राजपूत वेंडी। इसके अलावा विक्रेता फारूक हुसैन पुत्र राशिद अली निवासी देह वेंडी(83मिन) ()
			कुल	1.7097	

[फा. सं. : NHAI/PIU/JAMMU/DAKP/001/3D3]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th April, 2022

S.O. 1974(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, SO 2932 (E) Dated 26.07.2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-NE5(Delhi - Ludhiana- Amritsar - Katra Expressway) on the stretch of land from Km 514.5 to Km 566.52 in the district of JAMMU in the state of JAMMU & KASHMIR

And whereas the substance of the said notification has been published in “*Daily Excelsior*” and “*Amar Ujala*” both dated 30 July 2021 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-NE5 in the stretch of land from 514.5 to 566.42 NH-NE5 in the district of JAMMU in the State of JAMMU & KASHMIR.

State: JAMMU & KASHMIR			District: JAMMU		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Jammu				
	Village: Majeen				
1	148	Government	Gair Mumkin Sadak/ Gair Mumkin Patri	0.0101	Owner:State Land Cultivator: PWD 3Marla & Northern Railway 17Marla(148min)
2	149	Private	Merabal (Commercial)/Gair Mumkin Sadak	0.0329	Owner:Jagdish Singh S/O Dinanath R/O Jammu Cultivator: Self Cultivation (11Marla) Maqbujjan Noor Begam Wd/o Rashid Ahmed R/O Deh (3Kanal 2 Marla) PWD Department(1kanal9Marla)(149min)
3	154	Private	Gair Mumkin Rasta	0.0253	Owner:Shamlat Deh Cultivator: Maqbooza Malkan(154min)
4	165	Private	Merabal (Commercial)	0.1113	Owner:Moht. Ali Ismyal, Shamus din Sons of Noor Ali R/O Deh in Equal Share Cultivator: Shamus din Co-Sharer
5	172	Government	Gair Mumkin Khad	0.0076	Owner:State Cultivator: Jammu Development Authority(172min)
6	282/201	Private	Banjar Qadeem	0.0885	Owner:Bhanu Dutt S/o Sham Sundar Brahmin Cultivator: Jammu Development Authority
7	60	Private	Banjar Kadeem	0.3035	Owner:Suraj Prakash S/o Isher Das Cultivator: Jammu Development Authority(60min)
8	61	Private	Gair Mumkin Khad	0.1113	Owner:Shamlat Deh Hasbeh Rasad khewat Bashanai Malkan Mohan Singh and others, Madarza khewat no. 2, 26, 27. Cultivator: Jammu Development Authority(61min)
9	64	Government	Banjar	0.9029	Owner:State Cultivator: Jammu

			Kadeem/Adak		Development Authority(64min)
10	83	Private	Merabal (Commercial)	0.1163	Owner:Jagdish Singh & Others Cultivator: Jagdish Singh Co-Share Vendor Banarsi Lal S/O Ram Rakha Kashav Rajput Vendee. Further Vendor Farooq Hussain S/o Rashid Ali R/o Deh Vendee(83min)
			TOTAL	1.7097	

[F. No. NHAI/PIU/JAMMU/DAKP/001/3D3]

RAJESH GUPTA, Director

\